

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड़।

पत्रांक: बेसिक/मान्यता/ 9837-40 / 2017-18

दिनांक 30.01.18

प्रबंधक
भविष्य पब्लिक स्कूल, शिवालिक ग्रीन स्टेट, खेड़ा, पिलखुवा
जनपद-हापुड़।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विनियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम 4) के अन्तर्गत विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र और इसके संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्र/निर्माण के संदर्भ में न भविष्य पब्लिक स्कूल, शिवालिक ग्रीन स्टेट, खेड़ा, पिलखुवा, जिला-हापुड़ को कक्षा- नर्सरी से कक्षा-08 तक (अंग्रेजी माध्यम) हेतु दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2021 तक तीन वर्षों की अवधि के लिये औपचारिक मान्यता का दिया जाना सम्प्रेषित करता हूँ:-

- मान्यता के लिये स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और किसी भी रूप में कक्षा-08 के बाद मान्यता/सम्बद्धता प्रदान करने के दायित्व को विवक्षित नहीं कर सकता।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विनियम 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में, कक्षा की सदस्य संख्या के 25 प्रतिशत तक पाठ-पड़ोस के समजोर वर्ग और साधनहीन समूह के बालकों को प्रवेश देगा और इनकी शिक्षा पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा, परन्तु अग्रतर यह कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मानकों में भी यह सन्निधिम का पालन किया जायेगा।
- प्रस्तर तीन में सन्दर्भित बालकों के लिये विद्यालय यदि अधिनियम की धारा 12 (2) के अन्तर्गत आच्छादित हो तो विद्यालय को तदनुसार प्रतिपूर्ति दी जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्तियों को प्राप्त करने के लिये विद्यालय अलग से बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
- समिति/विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रह नहीं करेगा और बालक अथवा उसके पिता-पिता को अभिभावक को किसी जाँच प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं करेगा:-
(अ) बालक का आयु प्रमाण पत्र न होने पर,
(ब) धर्म, जाति अथवा नस्ल, जन्म स्थान अथवा उसमें से किसी आधार पर।
- विद्यालय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करेगा:-
(1)-किसी विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक प्रवेश दिये गये किसी बालक को किसी कक्षा में नहीं रोका रखा जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,
(2)-किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या गानसिक उत्पीड़न का भागी नहीं बनाया जायेगा।
(3)-किसी भी बालक से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं है।
(4)-प्रत्येक बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने पर नियम 23 के अन्तर्गत निर्धारण के अनुसार एक प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
(5)-अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निशुल्क ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का अन्तर्वेशन
(6)-अध्यापक निजी अध्यापन किया-कलापों के निमित्त स्वयं को नहीं लगेगा।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यवर्षा के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।

2



9. विद्यालय छात्रों का नामांकन विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपालन में करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

10. विद्यालय परिसर के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम या कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षा नहीं चलाई जायेगी।

11. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (अधिनियम संख्या 21 सन 1860) के अधीन पंजीकृत समिति या तदसमय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन गठित किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा संचालित किया जाता है।

12. विद्यालय किसी समूह या व्यक्ति संगम या किसी अन्य व्यक्तियों की सुविधा के लिए संचालित नहीं किया जाता है।

13. लेखाओं की सम्परीक्षा और प्रमाणन किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जायेगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की प्रतिलिपि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।

14. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित की जायें और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अपने प्राधिकारों के अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों की निरन्तर पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय की कार्यप्रणाली की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

15. समिति के पंजीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

16. विद्यालय प्रबंध/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय-समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।

17. अगर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी को किसी भी माध्यम से भविष्य में यह तथ्य संज्ञानित होता है कि यह मान्यता विद्यालय प्रबंधक द्वारा विभाग को तथ्यगोपन कर प्राप्त की गयी है अथवा विद्यालय को पूर्व में ही कोई मान्यता प्रदान की गयी है तो यह मान्यता रद्द निरस्त माना जायेगा एवं विभाग/सक्षम अधिकारी, विद्यालय प्रबंधक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

भवदीय

(देवेन्द्र गुप्ता)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

हापुड

पृ0सं0/बेसिक/मान्यता/ /2017-18 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलहाबाद।

2-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), प्रथम मण्डल, मेरठ।

3-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-हापुड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह समय-समय पर विद्यालय का निरीक्षण कर देख लें कि विद्यालय उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन कर रहा है कि नहीं यदि अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो तत्काल इस संदर्भ में आख्या कार्यालय को प्रेषित करें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

हापुड